



पंजीकृत कार्यालय, मणिपाल/Registered Office, Manipal

## पोस्टल बैलट सूचना/Notice of Postal Ballot

प्रिय शेयरधारक(कों),

यह सूचना, समय-समय पर आशोधित सेबी के विनियमन (सूचीकरण देयताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ), 2015 के विनियमन 44 एवं कंपनी नियम (प्रबंधन एवं प्रशासन), 2014 के नियम 22 (समय-समय पर कृत सांविधिक आशोधन या पुनर्धिनियमन सहित) में उल्लेखित अपेक्षाओं के अनुपालन में विशेष संकल्पों को पोस्टल बैलट, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग भी शामिल है, के माध्यम से पारित करने के लिए सिंडिकेटबैंक के (जिसे आगे से बैंक कहा जाएगा) शेयरधारकों से सहमति प्राप्त करने के लिए जारी किया जाता है।

प्रस्तावित विशेष संकल्प एवं उसके व्याख्यात्मक कथन में तात्विक तथ्य एवं उसके कारण प्रस्तुत किए गए हैं।

बैंक ने पोस्टल बैलट प्रक्रिया के निष्पक्ष एवं पारदर्शी संचालन को सुनिश्चित करने के लिए मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमणियन एंड कंपनी के श्री एस. एन. अनंतसुब्रमणियन (सीओपी सं. 1774) या उनकी गैर-मौजूदगी में सुश्री मालती कुमार (सीओपी सं. 10980), जो ठाणे, मुंबई के एक सक्रिय कंपनी सचिव है, को चुनाव प्रक्रिया के संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

कृपया सूचना और फॉर्म दस्तावेज़ में उल्लेखित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और फॉर्म को पूर्ण रूप से विधिवत भर कर उसे इसके साथ संलग्न स्व-पता मुद्रित पूर्व-प्रदत्त लिफाफे में रखकर संवीक्षक को निम्नांकित पते पर इस प्रकार भेजें कि वह शुक्रवार, दिनांक 29 मार्च 2019 को सायं 05:00 बजे से पहले प्राप्त हो जाए:

### ➤ संवीक्षक

C/o कार्वी फिनटेक प्रा. लिमिटेड,  
(पहले कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)  
यूनिट: सिंडिकेटबैंक,  
कार्वी सेलेनियम टावर बी,  
प्लॉट सं. 31-32, गच्चिबाउली,  
नानकरामगुड़ा, हैदराबाद - 500 032  
तेलंगाना, भारत

बैंक विशेष संकल्प पर मतदान प्रदान करने के लिए शेयरधारकों को ई-वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध करा रही है। ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के इच्छुक शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे इस सूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ें और ई-वोटिंग के संबंध में उल्लेखित निर्देशों का पालन करें।

पोस्टल बैलट के संवीक्षण के बाद संवीक्षक अपनी रिपोर्ट प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी को या निदेशक मंडल द्वारा प्राधिकृत अन्य कोई निदेशक/अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। पोस्टल बैलट द्वारा हुए मतदान का परिणाम शनिवार, 30 मार्च, 2019 को सायं 05:00 बजे तक बैंक के पंजीकृत कार्यालय, मणिपाल/कॉरपोरेट कार्यालय, बेंगलूरु के सूचना पट्ट में प्रदर्शित कर घोषित किया जाएगा जिसकी सूचना शेयर बाज़ार को दी जाएगी। यह परिणाम बैंक की वेबसाइट [www.syndicatebank.co.in](http://www.syndicatebank.co.in) के साथ-साथ बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट ("आरटीए"), कार्वी फिनटेक प्रा. लि. की वेबसाइट [www.evoting.karvy.com](http://www.evoting.karvy.com) पर प्रदर्शित किया जाएगा।



पंजीकृत कार्यालय, मणिपाल/Registered Office, Manipal

## पोस्टल बैलट सूचना/Notice of Postal Ballot

**Dear Shareholder(s),**

**NOTICE IS HEREBY GIVEN** pursuant to Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force) to seek consent of the Shareholders of SyndicateBank (hereinafter referred to as “the Bank”) to pass the Special Resolution by way of Postal Ballot including voting by electronic means i.e. “e-Voting”.

The proposed Special Resolution and Explanatory Statement, stating the material facts and reasons thereof is annexed hereto.

The Bank has appointed Shri S. N. Ananthasubramanian (CoP No. 1774) or failing him Ms. Malati Kumar (CoP No. 10980) of M/s S. N. Ananthasubramanian & Co., Practising Company Secretaries, Thane as Scrutinizer for conducting the Postal Ballot process in a fair and transparent manner.

Please read carefully the instructions printed in the Notice of Postal Ballot and Form and return the Form duly completed in all respects in the enclosed self-addressed postage pre-paid Business Reply Envelope so as to reach the Scrutinizer not later than close of working hours i.e. 05:00 p.m., on Friday, March 29, 2019 at the following address:

➤ **The Scrutinizer**

C/o Karvy Fintech Private Limited,  
(Formerly known as Karvy Computershare Private Limited)  
Unit: SyndicateBank,  
Karvy Selenium Tower B,  
Plot No. 31-32, Gachibowli,  
Nanakramguda, Hyderabad – 500 032  
Telangana, India

The Bank is also providing e-Voting facility for voting on the Special Resolution. The Shareholders desiring to opt for e-Voting facility are requested to read the notes to the Notice of Postal Ballot and instructions given thereunder for e-Voting purpose.

The Scrutinizer will submit his report to the Managing Director & Chief Executive Officer (“MD & CEO”) or any other Director/Officer of the Bank as authorized by the Board of Directors after completion of the scrutiny of the Postal Ballots. The result of the voting by Postal Ballot will be announced before 05:00 p.m., Saturday, March 30, 2019 at Registered Office, Manipal/Corporate Office, Bengaluru of the Bank by displaying on the Notice Board and will be intimated to the Stock Exchanges. It will also be hosted on the website of the Bank, [www.syndicatebank.in](http://www.syndicatebank.in) and M/s Karvy Fintech Private Limited, Registrar and Share Transfer Agent (“RTA”) of the Bank, [www.evoting.karvy.com](http://www.evoting.karvy.com).

## संकल्प:

1. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और योग्य पाए जाने पर विशेष संकल्प के रूप में इसे पारित करने के लिए :

“संकल्प किया जाता है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 और सिंडिकेटबैंक (शेयर एवं बैठक) विनियमन, 1998 में कथित प्रावधानों के अनुपालन में और भारतीय रिजर्व बैंक (“आरबीआई”), भारत सरकार (“जीओआई”), भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (“सेबी”) और/या इस संबंध में अपेक्षित अन्य प्राधिकारियों के अनुमोदन, सहमति, मंजूरी, यदि कोई हो, के अधीन तथा ऐसे अनुमोदन प्रदान करने में उनके द्वारा सुझाए गए नियमों, विनियमों और आशोधनों के अधीन, जिनपर बैंक के निदेशक मंडल की सहमति हो तथा सेबी [पूँजी निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ (“आईसीडीआर”)] विनियमन, 2018 और सेबी [सूचीकरण देयताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ (“एलओडीआर”)] विनियमन, 2015 और आरबीआई एवं अन्य संबंधित प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर प्रस्तावित विनियमन और उन शेयर बाजारों, जहाँ बैंक का इक्विटी शेयर सूचीबद्ध है, के साथ कृत सूचीकरण करार के अधीन एवं बैंक के शेयरधारकों की सहमति के अधीन बैंक के निदेशक मंडल को (जिसे इसके पश्चात् “बोर्ड” कहा जाएगा) ₹10/- (रुपए दस मात्र) के अंकित मूल्य पर भारत सरकार (“जीओआई”) को ₹1,603 करोड़ (रुपए एक हजार छः सौ तीन करोड़ मात्र) मूल्य के इक्विटी शेयर पर्याप्त मात्रा में, सेबी (आईसीडीआर) विनियमन, 2018 के विनियम सं. 164 में कथित नियमानुसार प्रारंभिक मूल्य पर निर्धारित की जाने वाली प्रीमियम राशि के साथ, सृजित कर आबंटित करने का अधिकार प्रदान किया जाए।”

“आगे संकल्प किया जाता है कि निर्गम मूल्य के निर्धारण के लिए प्रासंगिक तिथि बुधवार 27 फरवरी 2019 है।”

“आगे संकल्प किया जाता है कि बोर्ड या बोर्ड की समिति को, वांछित या भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड/स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, द्वारा सौंपे गए प्रस्तावों या निर्गम, आबंटन और उसे सूचीबद्ध करने हेतु अनुमोदन, सहमति, अनुमति और स्वीकृति के समय इस प्रकार के अन्य उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा गए प्रस्तावों तथा बोर्ड द्वारा दी गई सहमति के अनुसार, किसी भी प्रकार के आशोधन का अधिकार और शक्ति है।”

“आगे संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प के अनुपालन में अधिमानी आधार पर आबंटित और निर्गम किए जाने वाले नए इक्विटी शेयर, अकागजीकृत रूप में जारी किए जाएंगे तथा सेबी (आईसीडीआर) विनियमन के भाग VII के अंतर्गत वांछित लॉक-इन अपेक्षाओं के अधीन होंगे तथा इसकी घोषणा के समय लागू सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों (लाभांश घोषणा सहित, यदि कोई हो) के साथ सभी मामलों में समान होंगे।”

“आगे यह संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को कार्यान्वित करने उद्देश्य से, इक्विटी शेयरों के निर्गम के संबंध में उत्पन्न किसी प्रश्न, समस्या या संदेह के समाधान के लिए और बोर्ड या बोर्ड की समिति के अपने पूर्ण विवेक से आवश्यक, उचित और वांछनीय समझे गए सभी कार्यों, कृत्यों, विषयों और वस्तुओं को करने के लिए और आगे उनके पूर्ण विवेक से संगत, उचित या वांछनीय समझे जानेवाले आवश्यक, वांछनीय या उचित सभी दस्तावेजों तथा लेखन को अंतिम रूप देने एवं निष्पादित करने और वैसे सभी कार्यों, कृत्यों, विषयों एवं संव्यवहारों को करने के लिए, शेयरधारकों से बिना किसी अतिरिक्त अनुमति के या अनुमोदन की अपेक्षा के, बोर्ड या बोर्ड की समिति को एतद्वारा प्राधिकृत किया जाए या किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस संकल्प से प्राप्त प्राधिकार के माध्यम से शेयरधारकों द्वारा अपना अनुमोदन स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है।”

“आगे संकल्प किया जाता है कि बोर्ड या बोर्ड की समिति को एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह उपर्युक्त संकल्पों को लागू करने के लिए बैंक के प्रबंध निदेशक या कार्यपालक निदेशक/कों या ऐसे अन्य अधिकारी, जो उपर्युक्त लगे, को यहाँ प्रदत्त अधिकारों में से सभी या किसी को प्रत्यायोजित कर सकता है।”

निदेशक मंडल के द्वारा  
कृते सिंडिकेटबैंक

संतोष कुमार बारीक  
(कंपनी सचिव)  
(एम सं. ए21113)

दिनांक : 27.02.2019

स्थान : बेंगलूरु

**RESOLUTION:**

To consider and, if thought fit, to pass, the following resolution as a Special Resolution:

**“RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 and Syndicate Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1998 and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of the Reserve Bank of India (“RBI”), the Government of India (“GOI”), the Securities and Exchange Board of India (“SEBI”), and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI [Issue of Capital & Disclosure Requirements (“ICDR”)] Regulations, 2018 and SEBI [Listing Obligations & Disclosure Requirements (“LODR”)] Regulations, 2015 and regulations prescribed by the RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the Equity Shares of the Bank are listed, consent of the Shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as “the Board”) to create, offer, issue and allot requisite number of Equity Shares of face value of ₹10/- (Rupees Ten only) each to the Government of India (“GOI”) aggregating to ₹1,603 Crore (Rupees One Thousand Six Hundred Three Crore only) on preferential basis inclusive of premium for cash at an Issue Price to be determined in accordance with Regulation 164 of the SEBI (ICDR) Regulations 2018.”

**“FURTHER RESOLVED THAT** the Relevant Date for determination of the Issue Price is fixed as Wednesday, February 27, 2019.”

**“FURTHER RESOLVED THAT** the Board or Committee of the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the Government of India/ Reserve Bank of India/Securities and Exchange Board of India/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according/granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.”

**“FURTHER RESOLVED THAT** the new Equity Shares to be issued and allotted on preferential basis in pursuance of this Resolution shall be issued in dematerialized form and shall be subject to lock in requirements required under Chapter VII of the SEBI (ICDR) Regulations 2018 and shall rank *pari passu in all respects (including Dividend declared, if any)* with the existing equity shares of the Bank in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.”

**“FURTHER RESOLVED THAT** for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board or Committee of the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution.”

**“FURTHER RESOLVED THAT** the Board or Committee of the Board be and is hereby authorised to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director or Executive Director/s or such other officer of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution.”

By the Board of Directors  
For SyndicateBank

**Santosh Kumar Barik**  
(Company Secretary)  
(M. No. A21113)

Date : 27.02.2019  
Place : Bengaluru

## नोटः

1. सभी तात्विक तथ्यों को बताते हुए और प्रस्तावित समाधान के कारणों से संबंधित व्याख्यात्मक कथन यहाँ संलग्न है।
2. यह नोटिस, पोस्टल बैलट फॉर्म के साथ उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजे जाएंगे जिनका ई-मेल आईडी बैंक/निक्षेपागार के पास पंजीकृत हैं, बशर्ते किसी सदस्य ने भौतिक प्रति के लिए पंजीयन न किया हो। जिन शेयरधारकों ने ई-मेल पते का पंजीयन नहीं किया है उनके पते पर भौतिक प्रति भेजे जाएंगे। शेयरधारक कृपया नोट करें कि पोस्टल बैलट की यह सूचना बैंक की वेबसाइट [www.syndicatebank.in](http://www.syndicatebank.in) के साथ-साथ बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट (“आरटीए”), कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट [www.evoting.karvy.com](http://www.evoting.karvy.com) पर भी उपलब्ध है।
3. दिनांक 15 फरवरी 2019, शुक्रवार (“अंतिम तिथि”) तक शेयरधारक के नाम पर पंजीकृत शेयरोंकी चुकता पूंजी के मूल्य के अनुसार मतदान के अधिकार की गणना की जाएगी। केवल उन शेयरधारकों को जिनका नाम अंतिम तिथि तक बैंक के शेयरधारकों की सूची में अथवा निक्षेपागार द्वारा रख-रखाव किए गए हिताधिकारियों की सूची में शामिल हो, वे ही पोस्टल बैलट या ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने के योग्य होंगे। जो व्यक्ति अंतिम तिथि तक शेयरधारक नहीं है उनके लिए यह सूचना केवल जानकारी के लिए है।
4. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/80 की धारा 3 (2ई) के अनुसार प्रतिनिधि नए बैंक के शेयरधारक, केंद्र सरकार को छोड़कर, प्रतिनिधि नए बैंक के सभी शेयरधारकों की कुल मतदान के अधिकार से 10% से अधिक होने पर भी अपने द्वारा धारित शेयरों के संदर्भ में मतदान के अधिकार के लिए पात्र नहीं होंगे। अधिनियम/मों, विनियमन/नों योजना/ओं और विनियमों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की स्थिति में जिससे कि सूचना में निर्दिष्ट मौजूदा प्रक्रिया में किसी या कुछ भाग में परिवर्तन हो, तो संशोधन अभिभावी होगा।
5. शेयरधारकों को मतदान के लिए एक ही माध्यम का चयन करना होगा अर्थात पोस्टल बैलट या ई-वोटिंग। यदि कोई सदस्य दोनों ही माध्यमों से मतदान करता है तो उसके द्वारा ई-वोटिंग के माध्यम से किया गया मतदान ही वैध माना जाएगा एवं पोस्टल बैलट के माध्यम से किया गया मतदान अमान्य होगा।
6. इसके अतिरिक्त, जिन शेयरधारकों ने पोस्टल बैलट की सूचना ई-मेल के माध्यम से प्राप्त की है और वे भौतिक रूप से पोस्टल बैलट फॉर्म के माध्यम से अपना मतदान करना चाहते हैं, वे बैंक की वेबसाइट [www.syndicatebank.in](http://www.syndicatebank.in) से पोस्टल बैलट फॉर्म डाउनलोड करके या कंपनी सचिव, सिंडिकेटबैंक, 2<sup>nd</sup> क्रॉस, गांधी नगर, बेंगलूरु के पते पर पत्राचार करके प्राप्त कर सकते हैं तथा इसे विधिवत भरकर एवं हस्ताक्षर करके संवीक्षक को इस तरह भेजें कि पोस्टल बैलट फॉर्म दिनांक 29 मार्च 2019, शुक्रवार को सायं 05:00 बजे तक पहुँच जाए।
7. यदि संकल्प अपेक्षित बहुमत से पारित हो जाता है तो दिनांक 29 मार्च 2019, शुक्रवार अर्थात बैंक द्वारा विधिवत भरे हुए पोस्टल बैलट फॉर्म या ई-वोटिंग करने की अंतिम तिथि, को पारित माना जाएगा।
8. शेयरधारक अपना मतदान पोस्टल बैलट के माध्यम से परोक्ष रूप से नहीं कर सकता है।
9. जो शेयरधारक अपना मतदान पोस्टल बैलट फॉर्म के माध्यम से करना चाहते हैं उनसे अनुरोध है कि वे पोस्टल बैलट फॉर्म की दूसरी ओर उल्लेखित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और फॉर्म को विधिवत भर कर इसके साथ संलग्न स्व-पता मुद्रित पूर्व-प्रदत्त कारोबारी जवाबी लिफाफे में रखकर संवीक्षक को इस प्रकार भेजें कि वह 29 मार्च 2019 शुक्रवार को सायं 05:00 बजे से पहले प्राप्त हो जाए। डाक खर्च का भुगतान बैंक के द्वारा किया जाएगा। फिर भी, यदि पोस्टल बैलट फॉर्म वाला स्व-पता लिखा हुआ कारोबारी जवाबी लिफाफे को पंजीकृत/स्पीड-पोस्ट या कूरियर अथवा व्यक्तिगत रूप से अपने खर्च पर भेजा जाता है, तब भी वह स्वीकार्य होगा। यदि कोई पोस्टल बैलट फॉर्म शुक्रवार, 29 मार्च 2019 के

**Notes:**

1. The Explanatory Statement stating all material facts and reasons for the proposed resolution is annexed hereto.
2. This Notice along with the Postal Ballot Form is being sent by the electronic mode to those Shareholders, whose Email addresses are registered with the Bank/Depositories, unless any Shareholder has registered for a physical copy of the same. For Shareholders who have not registered their Email addresses, physical copies are being sent by the permitted mode. The Shareholders may note that this Notice of Postal Ballot will be available on the Bank's website, [www.syndicatebank.in](http://www.syndicatebank.in) and on the website of M/s Karvy Fintech Private Limited, Registrar and Share Transfer Agent ("RTA") of the Bank, [www.evoting.karvy.com](http://www.evoting.karvy.com).
3. The voting rights will be reckoned on the paid-up value of Equity Shares registered in the name of the Shareholders on Friday, February 15, 2019 ("Cut-off date"). Only those Shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Bank or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the Cut-off date will be entitled to cast their votes by Postal Ballot or e-Voting. A person who is not a Shareholder as on the Cut-off Date should treat this Notice of Postal Ballot for information purposes only.
4. Pursuant to Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, no Shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of 10 (ten) per cent of the total voting rights of all the Shareholders of the corresponding new Bank. In case of any amendments to the Act/s, Regulation/s, Scheme/s and Regulation/s which would result in change of any or part of the existing process as laid in this Notice, the amendment shall prevail.
5. The Shareholders can opt for only one mode of voting i.e. either Postal Ballot Form or e-Voting. In case, any Shareholder cast his/her vote both by Postal Ballot Form and e-Voting, the vote cast through e-Voting shall prevail and the vote cast through Postal Ballot Form shall be considered invalid.
6. Further, Shareholders, who have received the Notice of Postal Ballot by Email and who wish to vote through physical Postal Ballot Form, can download Postal Ballot Form from the Bank's website [www.syndicatebank.in](http://www.syndicatebank.in) or by writing to the Company Secretary, SyndicateBank, 2<sup>nd</sup> Cross, Gandhi Nagar, Bengaluru and send the duly completed and signed Postal Ballot Form to the Scrutinizer so as to reach on or before 05:00 p.m. (IST) on Friday, 29<sup>th</sup> March, 2019.
7. The resolution, if passed by requisite majority, shall be deemed to have been passed on Friday, March 29, 2019 i.e., the last date specified by the Bank for receipt of duly completed Postal Ballot Forms or e-Voting.
8. A Shareholder cannot exercise his/her vote by proxy on Postal Ballot.
9. The Shareholders desiring to exercise their vote by Postal Ballot Form are requested to carefully read the instructions printed overleaf on the Postal Ballot Form and return the said Form duly completed and signed, in the enclosed self-addressed postage pre-paid Business Reply Envelope to the Scrutinizer, so that it reaches the Scrutinizer not later than 05:00 p.m. (IST) on Friday, March 29, 2019. The postage will be borne by the Bank. However, envelopes containing Postal Ballot Form, if sent by courier or registered/speed post or deposited personally at the address given on the self-addressed postage pre-paid Business Reply Envelope at the expense of the Shareholder/s will also be accepted. If any Postal Ballot Form is received after 05:00 p.m. (IST) on Friday, March 29, 2019, it will be considered

सायं 05:00 बजे के बाद प्राप्त होता है तो ऐसा माना जाएगा कि शेयरधारक की तरफ से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, कृपया नोट करें कि पोस्टल बैलट फॉर्म को अमान्य माना जाएगा, यदि :

- i. शेयरधारक की सहमति और विसम्मति के बिना निर्धारण करना संभव न हो: और/या
- ii. सक्षम प्राधिकारी के द्वारा बैंक को लिखित रूप में किसी शेयरधारक के मतदान के अधिकार पर रोक लगाया जाए: और/या
- iii. यह इस तरह से विकृत या कटा-फटा हो कि इसकी मूल फॉर्म से मिलान संभव न हो: और/या
- iv. शेयरधारक ने संकल्प में किसी प्रकार का संशोधन किया हो अथवा मतदान के लिए किसी प्रकार का शर्त रखा हो: और/या
- v. फॉर्म में दिया गया विवरण अपूर्ण या गलत हो: और/या
- vi. पोस्टल बैलट फॉर्म हस्ताक्षरित न हो अथवा हस्ताक्षर का मिलान न हो: और/या
- vii. बैंक द्वारा जारी किए गए पोस्टल बैलट फॉर्म के अलावा कोई अन्य फॉर्म का उपयोग किया गया हो।

10. यदि कोई शेयरधारक पोस्टल बैलट प्रारूप की द्वितीय प्रति प्राप्त करने का इच्छुक हो तो शेयरधारक इस संबंध में पंजीकृत कार्यालय, मणिपाल/कॉरपोरेट कार्यालय, 2<sup>nd</sup> क्रॉस, गांधी नगर, बेंगलूरु को या बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट, कार्बी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड, यूनिट: सिंडिकेटबैंक, कार्बी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट सं. 31-32, गच्चिबाउली, नानकरामगुड़ा, हैदराबाद-500 032 को पत्र लिख कर प्राप्त कर सकता है। फिर भी, यह पोस्टल बैलट फॉर्म की द्वितीय प्रति विधिवत रूप से भरकर और हस्ताक्षर कर संवीक्षक को 29 मार्च 2019, शुक्रवार को सायं 05:00 बजे तक प्राप्त होनी चाहिए।

11. ई-वोटिंग की प्रक्रिया और विधि निम्नवत है:

**(ए) बैंक के उन शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग के संदर्भ में निर्देश जिनके डीमेट खाते/फोलियो संख्या कार्बी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड की ई-वोटिंग सुविधा के लिए पंजीकृत नहीं हैं और जिनके पास यूजर आईडी और पासवर्ड उपलब्ध नहीं है:**

- i. अपना ई-मेल खोलें और syndicatebanke-voting.pdf नाम के पीडीएफ फाइल को अपने डीपी/क्लाइंट आईडी या फोलियो संख्या को पासवर्ड के रूप में प्रविष्ट कर खोलें। उस पीडीएफ फाइल में ई-वोटिंग के लिए आईडी और पासवर्ड होगा। कृपया नोट करें कि यह प्रारंभिक पासवर्ड है।
- ii. इंटरनेट ब्राउजर में <http://evoting.karvy.com> यूआरएल प्रविष्ट करें।
- iii. शेयरधारक “लॉगिन” पर क्लिक करें।
- iv. अपना यूजर आईडी और उपर्युक्त चरण (i) के अनुसार पासवर्ड प्रविष्ट करें।
- v. लॉगिन पर क्लिक करें।
- vi. पासवर्ड परिवर्तन मेन्यू (Password change Menu) खुलेगा। अपने पुराने पासवर्ड को नए पासवर्ड के साथ बदलें जो न्यूनतम 8 (आठ) अंकों/ वर्णों या दोनों को मिलाकर होना चाहिए। कृपया पासवर्ड को नोट करें। यह विशेष आग्रह है कि अपने पासवर्ड को किसी के साथ साझा न करें एवं इसे गोपनीय रखने के लिए पूर्ण सावधानी बरतें।
- vii. “ई-वोटिंग” का होम पेज खुलेगा। “ई-वोटिंग”-एक्टिव वोटिंग साइकल पर क्लिक करें।
- viii. बैंक के ई-वोटिंग इवन संख्या (EVEN) का चयन करें।
- ix. “कास्ट वोट (Cast vote)” पेज खुलेगा, अब आप ई-वोटिंग कर सकते हैं। मतदान की सुविधा गुरुवार, दिनांक 28 फरवरी 2019 सुबह 09:00 बजे से शुक्रवार, दिनांक 29 मार्च 2019 सायं 05:00 बजे तक उपलब्ध रहेगी।
- x. उचित विकल्प चुनकर अपना मत दें और उसके बाद सबमिट (“Submit”) तथा पुष्टि करें (“Confirm”) पर क्लिक करें।

that no reply from the Shareholder/s has been received. Additionally, please note that the Postal Ballot Forms shall be considered invalid if:

- i. it is not possible to determine without any doubt the assent or dissent of the Shareholder/s; and/or
  - ii. a Competent Authority has given directions in writing to the Bank to freeze the voting rights of the Shareholder/s; and/or
  - iii. it is defaced or mutilated in such a way that its identity as a genuine form cannot be established; and/or
  - iv. the Shareholder/s has made any amendment to the resolution set out herein or imposed any condition while exercising his/her vote; and/or
  - v. the details provided in the form are incomplete or incorrect; and/or
  - vi. Postal Ballot Form is not signed or signature does not tally; and/or
  - vii. if the Postal Ballot Form other than the one issued by the Bank is used.
10. In case, a Shareholder is desirous of obtaining a duplicate Postal Ballot Form, the Shareholder may write to the Bank at its Registered Office, Manipal; Corporate Office, 2<sup>nd</sup> Cross, Gandhi Nagar, Bengaluru or its Registrar and Share Transfer Agent, Karvy Fintech Private Limited, Unit: SyndicateBank, Karvy Selenium Tower B, Plot No. 31-32, Gachibowli, Nanakramguda, Hyderabad – 500 032. However, the duly completed and signed Duplicate Postal Ballot Form should reach the Scrutinizer on or before 05:00 p.m. (IST) on Friday, March 29, 2019.
11. The process and manner of e-Voting shall be as follows:

**(A) Instructions in respect of e-Voting to the Shareholders of the Bank whose Demat Account(s)/ Folio Number(s) has/have not been registered for e-Voting facility of Karvy Fintech Private Limited and who do not have their existing User ID and Password:**

- i. Open Email and then open PDF File named “SyndicateBank e-Voting.pdf” with your DP/Client ID or Folio Number as password. The said PDF File contains your User ID and Password for e-Voting. Please note that the password is an initial password.
- ii. Launch Internet Browser by typing the URL - <https://evoting.karvy.com>.
- iii. Click on Shareholder “Login”.
- iv. Enter your User ID and Password as initial password noted in step (i) above.
- v. Click “Login”.
- vi. Password change menu appears. Change the password with new password of your choice with minimum 8 (eight) digits/characters or combination thereof. Please take note of the new password. It is strongly recommended to not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- vii. Home Page of “e-Voting” appears. Click on “e-Voting” - Active Voting Cycles.
- viii. Select e-Voting Even Number (EVEN) of the Bank.
- ix. Now you are ready for “e-Voting” as ‘Cast Vote’ page opens. Voting period commences from 09:00 a.m. on Thursday, February 28, 2019 and ends at 05:00 p.m. on Friday, March 29, 2019.
- x. Cast your vote by selecting appropriate option and click on “Submit” and also “Confirm” when prompted.



- xi. पुष्टि होने पर “Vote cast successfully” का संदेश प्रदर्शित होगा।
- xii. कारोबार की मर्दों पर अपना मतदान करने के बाद आप अपने मतदान में परिवर्तन नहीं कर सकेंगे।
- xiii. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात् वैयक्तिक के अलावा, एचयूएफ, एनआरआई आदि) को मतदान करने के लिए प्राधिकृत पदाधिकारियों के प्राधिकृत हस्ताक्षर के नमूने का सत्यापन कर संबंधित निदेशक मंडल का संकल्प/प्राधिकृत पत्र आदि की स्कैन प्रति (पीडीएफ/जेपीजी प्रारूप) के साथ संवीक्षक को ई-मेल [scrutinizer@snaco.net](mailto:scrutinizer@snaco.net) को प्रेषित करना होगा जिसकी एक प्रति [evoting@karvy.com](mailto:evoting@karvy.com) को भी प्रेषित करनी होगी।

**(बी) बैंक के उन शेयरधारकों के लिए रिमोट ई-वोटिंग के संदर्भ में निर्देश जिनके डीमेट खाते/ फोलियो संख्या पहले से ही कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड की ई-वोटिंग सुविधा के लिए पंजीकृत हैं:**

- i. इंटरनेट ब्राउजर में <http://evoting.karvy.com> यूआरएल प्रविष्ट करें।
- ii. शेयरधारक “लॉगिन” पर क्लिक करें।
- iii. अपना यूजर आईडी और मौजूदा पासवर्ड प्रविष्ट करें। (यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो <http://evoting.karvy.com> पर उपलब्ध “Forgot User Details/Password” के माध्यम से अपने पासवर्ड का पुनः सृजन कर सकते हैं।)
- iv. “लॉगिन” पर क्लिक करें।
- v. “ई-वोटिंग” का होम पेज खुलेगा। “ई-वोटिंग”-एक्टिव वोटिंग साइकल पर क्लिक करें।
- vi. बैंक के ई-वोटिंग इवन संख्या (ईवीईएन) का चयन करें।
- vii. “कास्ट वोट (Cast vote)” पेज खुलेगा, अब आप ई-वोटिंग कर सकते हैं। मतदान की सुविधा गुरुवार, दिनांक 28 फरवरी 2019, सुबह 09:00 बजे से शुक्रवार, दिनांक 29 मार्च 2019 सायं 05:00 तक उपलब्ध रहेगी।
- viii. उचित विकल्प चुनकर अपना मत दें और उसके बाद सबमिट (Submit) तथा पुष्टि करें (Confirm) पर क्लिक करें।
- ix. पुष्टि होने पर “Vote cast successfully” का संदेश प्रदर्शित होगा।
- x. कारोबार की मर्दों पर अपना मतदान करने के बाद आप अपने मतदान में परिवर्तन नहीं कर सकेंगे।
- xi. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात् वैयक्तिक के अलावा, एचयूएफ, एनआरआई आदि) को मतदान करने के लिए प्राधिकृत पदाधिकारियों के प्राधिकृत हस्ताक्षर के नमूने का सत्यापन कर संबंधित निदेशक मंडल का संकल्प/प्राधिकृत पत्र आदि की स्कैन प्रति (PDF/JPG प्रारूप में) के साथ संवीक्षक को ई-मेल [scrutinizer@snaco.net](mailto:scrutinizer@snaco.net) को प्रेषित करना होगा जिसकी एक प्रति [evoting@karvy.com](mailto:evoting@karvy.com) को भी प्रेषित करनी होगी।

**कृपया नोट करें :**

1. ई-वोटिंग वेबसाइट में 5 बार गलत पासवर्ड प्रविष्ट कर लॉगिन के असफल प्रयास पर लॉगिन अक्षम हो जाएगा। आपको पासवर्ड के पुनः सृजन के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध ‘Forgot Password’ पर जाना होगा।
2. आपका लॉगिन आई-डी और मौजूदा पासवर्ड बैंक द्वारा प्रस्तुत किए गए संकल्पों जिसके अंतर्गत आप शेयरधारक हैं पर विशेष रूप से ई-वोटिंग के लिए प्रयोग किया जा सकता है।
3. यह विशेष आग्रह है कि अपने पासवर्ड को किसी के साथ साझा न करें एवं इसे अनिवार्य रूप से गोपनीय रखें।
4. रिमोट ई-वोटिंग के संदर्भ में यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या है या कोई प्रश्न है तो श्री एम. आर. वी. सुब्रमण्यम, महा प्रबंधक, कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड, यूनिट - सिंडिकेटबैंक, कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट सं. 31-32, गच्चिबाउली, नानकरामगुडा, हैदराबाद-500 032, दूरभाष - 040-67162222/67161516, फैक्स 040-23001153, टॉल फ्री सं. : 18003454001 या [einward.ris@karvy.com](mailto:einward.ris@karvy.com) पर ई-मेल भेज कर संपर्क कर सकते हैं।

- xi. Upon confirmation, the message “Vote cast successfully” will be displayed.
- xii. Once you have voted on the item of business, you will not be allowed to modify your vote.
- xiii. Institutional shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/Authority letter, etc., together with attested specimen signature of the duly authorized signatory/ies who are authorized to vote, to the Scrutinizer through Email: [scrutinizer@snaco.net](mailto:scrutinizer@snaco.net) with a copy marked to [evoting@karvy.com](mailto:evoting@karvy.com).

**(B) Instructions in respect of remote e-Voting to the Shareholders of the Bank whose Demat Account(s)/Folio Number(s) has/have already been registered for e-Voting facility of Karvy Fintech Private Limited:**

- i. Launch Internet Browser by typing the URL - <https://evoting.karvy.com>.
- ii. Click on Shareholder “Login”.
- iii. Enter your User ID and existing Password (if you forgot your password, you can reset your password by using “Forgot User Details/Password” option available on <https://evoting.karvy.com>).
- iv. Click “Login”.
- v. Home Page of “e-Voting” appears. Click on “e-Voting” - Active Voting Cycles.
- vi. Select e-Voting Even Number (EVEN) of the Bank.
- vii. Now you are ready for “e-Voting” as “Cast Vote” page opens. Voting period commences from 09:00 a.m. on Thursday, February 28, 2019 and ends at 05:00 p.m. on Friday, March 29, 2019.
- viii. Cast your vote by selecting appropriate option and click on “Submit” and also “Confirm” when prompted.
- ix. Upon confirmation, the message “Vote cast successfully” will be displayed.
- x. Once you have voted on the item of business, you will not be allowed to modify your vote.
- xi. Institutional shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/Authority letter, etc., together with attested specimen signature of the duly authorized signatory/ies who are authorized to vote, to the Scrutinizer through Email: [scrutinizer@snaco.net](mailto:scrutinizer@snaco.net) with a copy marked to [evoting@karvy.com](mailto:evoting@karvy.com).

**Please note that:**

1. Login to e-Voting website will be disabled upon 5 (five) unsuccessful attempts to key-in the correct password. In such an event, you will need to go to ‘Forgot Password’ option available on the website to reset the same.
2. Your Login Id and existing Password can be used by you exclusively for e-Voting on the Resolutions placed by the Bank in which you are the Shareholder.
3. It is strongly recommended to not to share your password with any other person and take utmost care to keep it confidential.
4. In case, you have any queries or issues regarding remote e-Voting, you may contact Shri M. R. V. Subrahmanyam, General Manager, Karvy Fintech Private Limited, Unit: SyndicateBank, Karvy Selenium Tower B, Plot No. 31-32, Gachibowli, Nanakramguda, Hyderabad – 500 032, Tel.: 040 67162222/67161516, Fax: 040 23001153, Toll Free No.: 18003454001 or write an email to [einward.ris@karvy.com](mailto:einward.ris@karvy.com).

5. पोस्टल बैलट के माध्यम से मतदान का समापन होने पर संवीक्षक द्वारा प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एमडी एंड सीईओ) या निदेशक मंडल द्वारा प्राधिकृत बैंक के कोई कार्यपालक निदेशक या उनके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य, जो उस पर हस्ताक्षर कर सके के समक्ष प्रस्तुत किए गए प्रत्येक कार्यसूची की मदों में निर्धारित विशेष संकल्पों के पक्ष में या उसके विरुद्ध डाले गए कुल मतों पर संवीक्षक की रिपोर्ट तैयार करेंगे। पोस्टल बैलट फॉर्म की अवधि पर संवीक्षक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

## व्याख्यात्मक कथन

### मद संख्या-1

सेबी [पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ (“आईसीडीआर”)] अधिनियम, 2018, (अधिनियम) के अनुसार, भारत सरकार (“जीओआई”) को अधिमानी निर्गम:

#### 1. अधिमानी निर्गम के उद्देश्य:

भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना दिनांक 19 फरवरी 2019 के माध्यम से वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान सरकार के निवेश के रूप में बैंक के इक्विटी शेयर (विशेष प्रतिभूति/बाण्ड) के अधिमानी आबंटन के लिए केंद्र सरकार द्वारा बैंक को अंशदान के रूप में भारत के राष्ट्रपति द्वारा ₹1,603 करोड़ (रुपये एक हजार छः सौ तीन करोड़ मात्र) की स्वीकृति सूचित की थी।

बैंक को अपने भारतीय रिजर्व बैंक (“आरबीआई”) के साथ परिचालित खाते में दिनांक 21.02.2019 को ₹1,603 करोड़ (रुपये एक हजार छः सौ तीन करोड़ मात्र) की राशि प्राप्त हुई।

निदेशक मंडल ने दिनांक 27.02.2019 को संपन्न बैठक में ₹1,603 करोड़ (रुपये एक हजार छः सौ तीन करोड़ मात्र) के पूंजी निवेश के सापेक्ष भारत सरकार (“जीओआई”) को अधिमानी आधार पर प्रत्येक ₹10/- (केवल दस रुपये) के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयरों की आवश्यक संख्या के निर्माण, प्रस्ताव देने, जारी करने और आबंटित करने के लिए विशेष प्रस्ताव पारित करने की सिफारिश की है।

जुटाई गई पूंजी का उपयोग पूंजी पर्याप्तता में सुधार और बैंक के सामान्य कारोबार के लिए आवश्यक निधियों के रूप में किया जाएगा।

भारत सरकार (“जीओआई”) जो बैंक के प्रवर्तक हैं द्वारा पूर्ण निर्गम अभिदत्त किया जाएगा।

#### 2. निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की अधिकतम संख्या जारी की जानी चाहिए:

विशेष संकल्प, पोस्टल बैलट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि अर्थात्, शुक्रवार दिनांक 29 मार्च 2019 को पारित किया गया, माना जाएगा। सेबी के विनियमन 161 (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2018 के अनुसार, सुसंगत तिथि बुधवार, 27 फरवरी 2019, है और निर्गम के मूल्य की गणना सेबी के विनियमन 164 (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2018 के अनुसार की जाएगी। निर्गम का मूल्य और जारी की जाने वाली शेयरों की संख्या तथा भारत सरकार (“जीओआई”) को आबंटित शेयरों की संख्या शेयर बाजार को सुसंगत तिथि के बाद सूचित किया जाएगा।

#### 3. प्रस्ताव को अभिदत्त करने के इच्छुक प्रवर्तकों, निदेशकों और जारीकर्ता के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक:

बैंक में भारत सरकार (“जीओआई”) की शेयरधारिता 76.16% होने और भारत सरकार को प्रस्तावित अधिमानी शेयर निर्गम किए जाने के कारण, कोई भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक प्रस्ताव अभिदत्त करने की इच्छा नहीं रखते।

5. The Scrutinizer shall, after the conclusion of voting through Postal Ballot, make a Scrutinizer's Report on the total votes cast in favour or against the Special Resolution as set out in each of the Agenda Items, to the Managing Director & Chief Executive Officer (MD & CEO) or any of the Executive Directors of the Bank as authorised by the Board of Directors or any other person authorised by him, who shall countersign the same. The Scrutinizer's decision on the validity of a Postal Ballot Form will be final and binding.

## **EXPLANATORY STATEMENT**

### **Pursuant to SEBI [Issue of Capital and Disclosure Requirements ("ICDR")] Regulations, 2018, (the Regulations) Preferential Issue to the Government of India ("GOI"):**

#### **1. Objects of the Preferential Issue:**

The Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, vide notification dated 19.02.2019 has conveyed the sanction of the President of India for release of ₹1,603 Crore (Rupees One Thousand Six Hundred Three Crore only) to the Bank towards contribution of the Central Government in the preferential allotment of equity shares (Special Securities/Bonds) during the financial year 2018-19, as Government's investment.

The amount of ₹1,603 Crore (Rupees One Thousand Six Hundred Three Crore only) has been received by the Bank on 21.02.2019 in the account maintained with the Reserve Bank of India ("RBI").

The Board of Directors in its meeting held on 27.02.2019 has recommended for passing the Special Resolution to create, offer, issue and allot requisite number of Equity Shares of face value of ₹10/- (Rupees Ten only) each to the Government of India ("GOI") on preferential basis against capital infusion of ₹1,603 Crore (Rupees One Thousand Six Hundred Three Crore only).

The capital raised would be utilized to improve the Capital Adequacy and to fund general business needs of the Bank.

The entire issue will be subscribed by the Government of India ("GOI") - Promoter of the Bank.

#### **2. Maximum number of specified securities to be issued:**

The Special Resolution shall be deemed to be passed on the last date of Postal Ballot i.e., Friday, March 29, 2019. Pursuant to Regulation 161 of SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, the Relevant Date is Wednesday, February 27, 2019 and the Issue Price will be calculated in accordance with Regulation 164 of SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018. The Issue Price and the number of Shares to be issued and allotted to the Government of India ("GOI") shall be intimated to the Stock Exchanges after the Relevant Date.

#### **3. Intent of the promoters, directors or key managerial personnel of the issuer to subscribe to the offer:**

Since, the Government of India ("GOI") shareholding in the Bank is 76.16% and the proposed preferential issue is also to be made to the GOI, none of the Directors or Key Managerial Personnel have intent to subscribe the offer except GOI.

4. अधिमानी शेयर निर्गम के पहले और बाद में निर्गमकर्ता की शेयरधारिता का नमूना:

शेयर निर्गम के पहले:

क्र.सं.	वर्ग	शेयरों की संख्या	प्रतिशतता
1.	प्रवर्तक (भारत सरकार)	121,92,38,605	76.16%
2.	प्रवर्तक के अलावा	38,17,32,665	23.84%
कुल		160,09,71,270	100.00%

शेयर निर्गम के बाद:

बैंक की उपर्युक्त शेयरधारिता नमूना भारत सरकार (“जीओआई”) के लिए प्रस्तावित अधिमानी शेयर निर्गम के पहले का है क्योंकि भारत सरकार को आबंटित किए जानेवाले इक्विटी शेयरों की अपेक्षित संख्या का निर्धारण, संबंधित दिनांक अर्थात् बुधवार, 27 फरवरी 2019 को निर्गम मूल्य के निर्धारण के बाद ही किया जाएगा।

बैंक, शेयरधारिता के पैटर्न के साथ-साथ आबंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयरों की संख्या एवं निर्गम मूल्य से संबंधित सूचना शेयर बाजार को शेयर निर्गम के बाद सूचित करेगी। उपरोक्त विवरण बैंक की वेबसाइट और कार्वी-ई-वोटिंग एजेंट की वेबसाइट में उपलब्ध होगा।

5. अधिमानी शेयर निर्गम को पूरा करने की समय-सीमा:

विशेष संकल्प के अनुसार आबंटन के ऐसे संकल्प को पारित करने के दिनांक से 15 (पंद्रह) दिनों की अवधि के भीतर पूर्ण किया जाएगा बशर्ते कि आबंटन के लिए किसी भी विनियामक प्राधिकारी या केंद्र सरकार द्वारा कोई अनुमोदन या अनुमति विचाराधीन है तो, 15 (पंद्रह) दिनों की अवधि को, उसके अनुसार ऐसे आवेदन पर आदेश के दिनांक से या अनुमोदन या अनुमति के दिनांक से, जो भी स्थिति हो, गिना जाए।

6. अधिमानी निर्गम के फलस्वरूप वास्तविक व्यक्ति, जो आबंटित किए जाने के लिए प्रस्तावित शेयरों का अंतिम हिताधिकारी स्वामी बनते हैं और/या जो प्रस्तावित आबंटितियों, उनके द्वारा धारित अधिमानी निर्गमोत्तर पूंजी की प्रतिशतता और निर्गमकर्ता के नियंत्रण में, यदि कोई परिवर्तन है, तो उनका नियंत्रण अंतिम रूप से करते हैं, उनकी पहचान:

चूंकि समग्र निर्गम बैंक के प्रधान शेयरधारक और प्रवर्तक भारत सरकार (“जीओआई”) को किया जा रहा है, अतः निर्गम के फलस्वरूप नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

7. जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, निर्गमकर्ता वचन देगा कि वह उससे इन विनियमनों के प्रावधानों की शर्तों के अनुसार विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के मूल्य का पुनःपरिकलन करेगा:

बैंक, सेबी (आईसीडीआर) विनियमन, 2018 के अनुसार इक्विटी शेयरों के मूल्य का पुनःपरिकलन करने का वचन देता है, जहाँ कहीं ऐसा करना आवश्यक है।

8. इस प्रकार वचन दिया जाता है कि यदि इन विनियमों में अनुबद्ध समय के भीतर मूल्य के पुनःपरिकलन के कारण प्रदेय राशि अदा नहीं की जाती है तो आबंटितियों से ऐसी राशि अदा किए जाने तक विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियां लॉक-इन रहेंगी:

बैंक की यह जिम्मेदारी है कि यदि मूल्य के पुनःपरिकलन के कारण देय राशि का भुगतान इन विनियमों में निर्धारित तिथि के अंदर नहीं किया जाता है, तो आबंटिती द्वारा ऐसी राशि का भुगतान होने तक निर्दिष्ट प्रतिभूतियों को लॉक-इन रखा जाएगा।

#### 4. Shareholding Pattern of the issuer before and after the preferential issue:

##### Before Issue:

S. No.	Category	No. of Shares	In percentage
1.	Promoter (Government of India)	121,92,38,605	76.16%
2.	Other than Promoter	38,17,32,665	23.84%
<b>Total</b>		<b>160,09,71,270</b>	<b>100.00%</b>

##### Post Issue:

The aforesaid shareholding pattern of the Bank is before the proposed preferential issue to the Government of India (“GOI”) as requisite number of Equity Shares to be allotted to the GOI shall be ascertained only after the determination of Issue Price on Relevant Date i.e. Wednesday, February 27, 2019.

The Bank will notify the Stock Exchanges about the Issue Price, number of equity shares to be allotted as well as the Post Issue Shareholding pattern. The aforesaid details will be available on the website of the Bank, and Karvy - e-Voting Agent.

#### 5. Time frame within which the preferential issue shall be completed:

The allotment pursuant to the Special Resolution shall be completed within a period of 15 (fifteen) days from the date of passing of such resolution provided that any approval or permission by any Regulatory Authority or the Central Government for allotment is pending, the period of 15 (fifteen) days shall be counted from the date of the order on such application or the date of approval or permission, as the case may be.

#### 6. Identity of the natural persons who are the ultimate beneficial owners of the shares proposed to be allotted and/or who ultimately control the proposed allottees, the percentage of post preferential issue capital that may be held by them and change in control, if any, in the issuer consequent to the preferential issue:

As the entire issue is to be made to the Government of India (“GOI”), the major Shareholder and Promoter of the Bank, there would not be any change in control subsequent to the issue.

#### 7. Undertaking that the issuer shall re-compute the price of the specified securities in terms of the provision of these regulations where it is required to do so:

The Bank undertakes to re-compute the price of the Equity Shares pursuant to SEBI (ICDR) Regulations, 2018 where it is required to do so.

#### 8. Undertaking that if the amount payable on account of the re-computation of price is not paid within the time stipulated in these regulations, the specified securities shall continue to be locked-in till the time such amount is paid by the allottees:

The Bank undertakes that if the amount payable on account of re-computation of price is not paid within the time stipulated in these regulations, the specified securities shall continue to be locked-in till the time such amount is paid by the allottee.

9. चूँकि सभी शेयर भारत सरकार (“जीओआई”) को जारी किए जाने हैं, अतः सेबी (पूँजी निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2018 की अनुसूची VI में निर्धारित प्रकटीकरण लागू नहीं है।

**10. लॉक-इन और अंतरणीयता पर प्रतिबंध:**

1. भारत सरकार (“जीओआई”) को आबंटित इक्विटी शेयरों को, इक्विटी शेयरों के लिए प्रदान किए गए ट्रेडिंग अनुमोदन की तिथि से 3 (तीन) वर्षों की अवधि के लिए लॉक-इन किया जाएगा।  
बशर्ते, जारीकर्ता की कुल पूँजी के 20 (बीस) प्रतिशत तक की पूँजी, ट्रेडिंग अनुमोदन की तिथि से 3 (तीन) वर्षों तक लॉक-इन रहेगी।  
बशर्ते, इसके अतिरिक्त विकल्प का प्रयोग किए जाने या अन्यथा के अनुसार, जैसा भी मामला हो, 20 (बीस) प्रतिशत से अधिक आबंटित इक्विटी शेयरों को ट्रेडिंग अनुमोदन की तिथि से एक वर्ष के लिए लॉक-इन किया जाएगा।
2. आबंटिती का संपूर्ण पूर्वाधिकमानी आबंटन शेयरधारण, यदि कोई हो, तो उसे संबंधित दिनांक से ट्रेडिंग अनुमोदन की तिथि से छह महीने की अवधि तक लॉक-इन किया जाएगा।

**लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र:**

प्रस्तावित अधिमानी निर्गम को ध्यान में रखते हुए पोस्टल बैलेट के परिणाम की घोषणा की तारीख तक बैंक के पंजीकृत कार्यालय मणिपाल और कॉरपोरेट कार्यालय, 2<sup>nd</sup> क्रॉस, गांधी नगर, बेंगलूरु में सांविधिक लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र उपलब्ध होगा। इसमें यह प्रमाणित किया होगा कि सेबी (पूँजी निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2018 की अपेक्षाओं के अनुसार निर्गम किया गया है।

भारत सरकार (“जीओआई”) द्वारा धारित सभी शेयर अभौतिक (बेकागजीकृत) रूप में हैं और शेयर बाजार, जहाँ बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ सूचीयन करार में यथा नियत इक्विटी शेयर के सतत् सूचीयन की शर्तों का बैंक अनुपालन कर रहा है।

भारत सरकार (“जीओआई”) ने संबंधित दिनांक से पहले छह महीने के दौरान बैंक के किसी भी इक्विटी शेयर की बिक्री नहीं की है।

सेबी [(सूचीकरण देयताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) (“एलओडीआर”)] विनियमावली, 2015 और सेबी [पूँजी निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएं (“आईसीडीआर”)] अधिनियम, 2018, के अनुसार उपर्युक्त एजेंडा के लिए विशेष संकल्प के माध्यम से बैंक के शेयरधारकों का अनुमोदन अपेक्षित है।

आपके निदेशक ने पोस्टल बैलेट सूचना में उल्लेखित विशेष संकल्प की अनुशंसा की है।

उस विशेष संकल्प से किसी निदेशक, प्रमुख प्रबंधक वर्ग या उनके रिश्तेदारों का कोई संबंध या हित नहीं है।

निदेशक मंडल के द्वारा  
कृते सिंडिकेटबैंक

संतोष कुमार बारीक  
(कंपनी सचिव)  
(एम सं. ए21113)

दिनांक : 27.02.2019

स्थान : बेंगलूरु

**9. As all the shares are to be issued to Government of India (“GOI”) the disclosures as specified in Schedule VI to the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 are not applicable.**

**10. Lock-in and Restrictions on Transferability:**

1. The Equity Shares allotted to the Government of India (“GOI”) shall be locked-in for a period of 3 (three) years from the date of trading approval granted to the Equity Shares.

Provided that not more than 20 (twenty) per cent of the total capital of the issuer shall be locked-in for 3 (three) years from the date of trading approval.

Provided further that Equity Shares allotted in excess of the 20 (twenty) per cent shall be locked-in for one year from the date of trading approval pursuant to exercise of options or otherwise, as the case may be.

2. The entire pre-preferential allotment shareholding of the allottees, if any, shall be locked-in from the relevant date up to a period of 6 (six) months from the date of trading approval.

**Auditor’s Certificate:**

A Certificate of the Statutory Auditors of the Bank shall be available at the Registered Office, Manipal and Corporate Office, 2<sup>nd</sup> Cross, Gandhi Nagar, Bengaluru of the Bank till the date of announcement of results of the Postal Ballot considering the proposed preferential issue, for certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018.

All the Shares held by the Government of India (“GOI”) are in Dematerialized mode and the Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of Equity Shares as specified in the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges where the Equity Shares of the Bank are listed.

The Government of India (“GOI”) has not sold any Equity Shares of the Bank during the 6 (six) months preceding the Relevant Date.

Pursuant to the SEBI [Listing Obligations & Disclosure Requirements (“LODR”)] Regulations, 2015 and SEBI [Issue of Capital and Disclosure Requirements (“ICDR”)] Regulations, 2018, approval of the Shareholders of the Bank is required by way of a Special Resolution for the aforesaid Agenda.

Your Directors recommend the Special Resolution as set out in the Notice of Postal Ballot.

None of the Directors, Key Managerial Personnel or their relatives are concerned or interested in the Special Resolution.

By the Board of Directors  
For SyndicateBank

**Santosh Kumar Barik**  
(Company Secretary)  
(M. No. A21113)

Date : 27.02.2019  
Place : Bengaluru